

धारा 58 : निधि का उपयोग

- (1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जो विहित की जाए।
 - (2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
-